| |
|---|
| **दिनांक 15.04.2024** |
| **प्रेस विज्ञप्ति 15/2024** |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चैत्र रामनवमी के अवसर पर प्रभावी पुलिस प्रबन्ध/यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में दिये गये दिशा निर्देश

**श्री प्रशान्त कुमार,** पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस आयुक्त, परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद उ0प्र0 को चैत्र रामनवमी के अवसर पर प्रभावी पुलिस प्रबन्ध/यातायात व्यवस्था के सम्बन्ध में मुख्यतः निम्न बिन्दुओं पर दिशा निर्देश दिये गयेः-

- त्यौहार रजिस्टर की प्रविष्टियों का परिशीलन कर विगत वर्षो अथवा वर्तमान में कोई समस्या दृष्टिगोचर हो तो उसका समय से निस्तारण कराये तथा त्यौहार के दृष्टिगत TROUBLE SPOTS चिन्हित कर, प्रत्येक TROUBLE SPOTS पर सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/मजिस्ट्रेट एवं थाना प्रभारी द्वारा मौके पर जाकर समस्याओं का समाधान कराया जाय। किसी प्रकार की नयी परम्परा शुरू करने की अनुमति न दिया जाय।
- शान्ति समिति/कार्यक्रम आयोजकों व धर्मगुरूओं के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में बैठक सम्पादित की जाय।
- जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा महत्वपूर्ण मन्दिरो, मेला स्थलों, जलूस एवं शोभा यात्राओं के मार्गो सहित सभी संवदेनशील स्थानों का भ्रमण कर लिया जाय तथा छोटे से छोटे जुलूसों के साथ भी आवश्यकतानुसार पुलिस व्यवस्थापन किया जाय।
- शरारती एवं असामाजिक तत्वों के विरूद्ध नियमानुसार प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

- दंगा नियंत्रण योजना का पुनराभ्यास करा लिया जाय एवं दंगा नियन्त्रण यंत्रो का समुचित प्रयोग किया जाय।
- महत्वपूर्ण मेला स्थलों एवं बड़े तथा प्रसिद्ध मंदिरों के मुख्यद्वार पर प्रवेश नियन्त्रण एवं एण्टीसोबोटॉज चेकिंग की व्यवस्था की जाय तथा महिला एवं पुरूष पुलिस कर्मियों को ब्रीफ कर उनकी ड्यिूटी लगायी जाय।
- यूपी–112 के वाहनों का व्यवस्थापन संवेदनशील मार्गो/स्थलों पर किया जाय तथा अन्य पेट्रोलिंग वाहनों द्वारा चिन्हित संवेदनशील स्थलों पर राजपत्रित अधिकारियों के पर्यवेक्षण में प्रभावी गश्त/पेट्रोलिंग करायी जाय।
- श्रद्धालुओं द्वारा नदी/जलाशयों में स्नान के घाटों पर समुचित पुलिस प्रबन्ध किये जाये तथा आवश्यकतानुसार नाव एवं गोताखोरों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
- भीड़–भाड़ वाले स्थानों पर आपात चिकित्सा हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर चिकित्सीय टीम की व्यवस्था की जाय।
- अग्निशमन यंत्रों का अधिष्ठापन एवं अग्निशमन वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय।
- आवश्यकतानुसार सीसीटीवी कैमरों, वीडियोंग्राफी टीम एवं ड्रोन कैमरे का उपयोग किया जाय।
- रेलवे स्टेशनों एवं बस स्टेशनों पर भीड़ के आवागमन के दृष्टिगत पर्याप्त सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित किये जाय, आवश्यकतानुसार चेकिंग/फ्रिस्किंग, डॉग स्क्वाड, एण्टीसोबोटॉज तथा बम डिस्पोजल स्क्वाड की व्यवस्था की जाय।
- वाहनों की पार्किंग हेतु उपयुक्त स्थान की व्यवस्था तथा यातायात के सुगम संचालन हेतु रूट डायवर्जन की व्यवस्था की जाय।
- समस्त जनपदों में पोस्टर पार्टी एवं मॉर्निंग चेकिंग टीम को सक्रिय रखा जाय तथा उनके दायित्वों से भली–भॉति अवगत कराकर उन्हें प्रातः काल नियमित रूप से चेकिंग हेतु रवाना किया जाय।

- आसूचना तंत्र को सक्रिय रखते हुये प्राप्त होने वाली छोटी से छोटी सूचनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये त्वरित वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म की निरन्तर मॉनिटरिंग करते हुये प्रसारित होने वाले आपत्तिजनक पोस्ट/भ्रामक सूचनाओं का तत्काल संज्ञान लेते हुए उनका खण्डन किया जाये तथा पुलिस मुख्यालय में स्थापित सोशल मीडिया सेल से निरन्तर समन्वय बनाये रखा जाय।
- लोकसभा सामान्य निर्वाचन–2024 के दृष्टिगत आदर्श आचार संहिता का सम्पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु जनपद के सभी पुलिस कर्मियों की यथोचित ब्रीफिंग की जाये, जिससे कहीं भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न होने पाये।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

| दिनांक 15.04.2024 |
| --- |
| प्रेस विज्ञप्ति 16/2024 |

# मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

## जनपद गोरखपुर/क्राइम ब्रान्च गोरखपुर

- **10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 14.04.2024 को क्राइम ब्रान्च गोरखपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त जितेन्द्र को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद गोरखपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर व कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में डकैती, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना चिलुआताल पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 10 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना चिलुआताल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1–जितेन्द्र निवासी सिहांसनपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।

## जनपद कुशीनगर/थाना रामकोला

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 15 लाख रूपये कीमत के चोरी की 15 बैट्री, 07 इन्वर्टर, 01 स्टेपलाईजर, 02 डीवीआर, 01 मॉनीटर, 02 यूपीएस, 02 लेमिनेशन मशीन, 03 प्रिन्टर आदि**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 14.04.2024 को थाना रामकोला व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर धुआटीकर के पास से 02 अभियुक्तों 1–राजू 2–कलामुद्दीन को

गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 15 लाख रूपये कीमत के चोरी की 15 बैट्री, 07 इन्वर्टर, 01 स्टेपलाईजर, 02 डीवीआर, 01 मॉनीटर, 02 यूपीएस, 02 लेमिनेशन मशीन, 03 प्रिन्टर आदि, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त राजू शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानो में हत्या, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के आधा दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना रामकोला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1—राजू निवासी नरकटिया थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

2—कलामुद्दीन निवासी बभनौली थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

**<u>बरामदगी</u>**

1—लगभग 15 लाख रूपये कीमत के चोरी की 15 बैट्री, 07 इन्वर्टर, 01 स्टेपलाईजर, 02 डीवीआर, 01 मॉनीटर, 02 यूपीएस, 02 लेमिनेशन मशीन, 03 प्रिन्टर आदि।

2—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

## <u>जनपद हमीरपुर/थाना जलालपुर</u>

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **19 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **08 जीवित कारतूस विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 15.04.2024 को थाना जलालपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चन्दा डेरा रोड पथरी जंगल से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 02 अभियुक्तों

1—चन्द्रभान 2—विन्दा को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 19 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 08 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना जलालपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**गिरफ्तार अभियुक्त**

1—चन्द्रभान निवासी ग्राम सरसई थाना राठ जनपद हमीरपुर।

2—विन्दा निवासी ग्राम टोला रावत थाना मझगवां जनपद हमीरपुर।

**बरामदगी**

1—19 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2—08 जीवित कारतूस विभिन्न बोर।

3—अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

## जनपद बांदा/थाना कालिंजर

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त गिरफ्तार**
- **12 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर**
- **07 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 06 नाल विभिन्न बोर**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 14/15.04.2024 को थाना कालिंजर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गोपरा बीहड़ से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहा अभियुक्त देवराज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 12 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर, 07 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 06 नाल विभिन्न बोर, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कालिंजर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

**<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>**

1–देवराज निवासी तिन्दवारा थाना कोतवाली नगर जनपद बांदा।

**<u>बरामदगी</u>**

1–12 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध शस्त्र विभिन्न बोर।

2–07 जीवित, 03 खोखा कारतूस, 06 नाल विभिन्न बोर।

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना संदीपनघाट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना संदीपनघाट पर पंजीकृत अभियोग में धारा 364/120बी/34/302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–सूरज उर्फ आदर्श 2–जयकिशन को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 01 लाख 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद कौशाम्बी/थाना सैनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा व 60–60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद कौशाम्बी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद कौशाम्बी द्वारा थाना सैनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–छेदीलाल 2–मिथुन को आजीवन कारावास व 60–60 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद मुजफ्फरनगर/थाना तितावी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 23 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा थाना तितावी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/149/307/302/452 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त जोगिन्द्र उर्फ लाला को आजीवन कारावास व 23 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद संतकबीरनगर/थाना बखिरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 07 वर्ष के कारावास की सजा व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद संतकबीरनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद संतकबीरनगर द्वारा थाना बखिरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त इलियास अहमद को 07 वर्ष के कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद फिरोजाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 04 करोड़ 41 लाख 86 हजार 981 रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद फिरोजाबाद पुलिस ने अभियुक्त 1—सुखवीर सिंह 2—रामवीर सिंह 3—रिंकू सिंह पुत्रगण सुघर सिंह निवासी सविता नगर थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 04 करोड़ 41 लाख 86 हजार 981 रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

—————